सं0-5783/62-2-2017-2/3(07)/2017

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 25 अगस्त,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र सं0-980/ल0सिं0/बजट-अधि0/2017-18, दिनांक 28.07.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.8.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-22785.73 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-28927.72 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-927/62-2-2017-2/3(07)/2017, दिनांक 13.4.2017 द्वारा प्रथम पॉच माहों हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0'11411.31 लाख को समायोजित करते हुए तथा मोटर गाडियों के क्रय हेतु मानक मद सं0-14 में प्रस्तावित धनराशि रू0-14.58 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0-11359.84 लाख (रूपया एक सौ तेरह करोड उनसाठ लाख चौरासी हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 13.4.2017 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.8.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-5783(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-5783/62-2-2017-2/3(07)/2017, दिनांक 25 अगस्त,2017 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में अधिष्ठान की विभिन्न् मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

कोड	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बजट प्राविधान	लेखानुदान मे बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु अवमुक्त धनराशि	अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
01	वेतन	18900.00	10637.98	8262.02
03	महॅगाई भत्ता	1134.00	531.90	602.10
04	यात्रा भत्ता	155.56	64.82	90.74
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	2.08	2.92
06	अन्य भत्ते	779.11	42.75	736.36
07	मानदेय	0.01	0.00	0.01
08	कार्यालय व्यय	10.00	4.17	5.83
09	विघुत देय	30.00	12.50	17.50
10	जलकर/जल प्रभार	3.00	1.25	1.75
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	7.20	3.00	4.20
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	1.25	1.75
13	टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.25	1.75
14	मोटर गाडियों का व्यय	25.00	10.42	0.00
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेटौल आदि की खरीद	70.84	29.52	41.32
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	4.17	5.83
17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्य	20.00	8.33	11.67
29	अनुरक्षण	10.00	4.17	5.83
42	अन्य व्यय	1.00	0.42	0.58
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	1.25	1.75
45	अवकाश यात्रा व्यय	4.00	1.67	2.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	2.06	2.92
49	चिकित्सा व्यय	66.00	45.83	20.17
51	वर्दी व्यय	1.20	0.50	0.70
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1539.81	0.00	1539.81
	योग-03	22785.73	11411.31	11359.84

(रूपया एक सौ तेरह करोड उनसाठ लाख चौरासी हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।